न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 31 / 2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024
GCMS NO : 2024/76

गजू पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
...............प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू
...............अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता मोहनलाल बिस्सु उपस्थित
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 285 तादादी 3.6291 हैक्टेयर वाके रोही दुलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में मेरा नाम मन्जू पुत्री रामचन्द्र दर्ज है, जो कि गलत है। मेरा सही व वास्तविक नाम गजू पुत्री रामचन्द्र है।

प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीनी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरणमें रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम दुलिया में प्रार्थीनी का नाम मन्जू पुत्री रामचन्द्र दर्ज है। जबकि प्रार्थीनी के दस्तावेजों में नाम गजू पुत्री रामचन्द्र दर्ज है। मन्जू एवं गजू दोनों एक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम गजू पुत्री रामचन्द्र किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का सही तथा वास्तविक नाम गजू पुत्री रामचन्द्र ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम दुलिया के खसरा संख्या 285 तादादी 3.6291 हैक्टेयर में दर्ज मन्जू पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दुलिया खातेदार के स्थान पर गजू पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दुलिया खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला–चूरू